

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 22/ 2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

“आईएमटी के लिए पहचाने गए 37 - 37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5 - 40 गीगाहर्ट्ज और 42.5 - 43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी” पर परामर्श पत्र विषय पर भादूविप्रा द्वारा जारी परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ/ प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2024: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 04.04.2024 को 'आईएमटी के लिए पहचाने गए 37 - 37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5 - 40 गीगाहर्ट्ज और 42.5 - 43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 02.08.2023 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से, अन्य-बातों सहित, 37 - 37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5 - 40 गीगाहर्ट्ज और 42.5 - 43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड प्लान, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित शर्तों तथा आईटीयू के नवीनतम एनएफएपी/रेडियो विनियमों के संगत प्रावधानों में यथा प्रतिपादित विनियामक तकनीकी आवश्यकताओं सहित सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया।

3. इस संदर्भ में, दिनांक 04.04.2024 को भादूविप्रा ने 'आईएमटी के लिए पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। प्रारंभ में, हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 02.05.2024 और प्रति टिप्पणियों के लिए 16.05.2024 निर्धारित की गई थी।

5. हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 16 मई 2024 और 30 मई 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विस्तार के लिए आगे के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. टिप्पणियाँ/ प्रति टिप्पणियाँ अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ईमेल आईडी: advmn@traai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा